सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 477/सो.आ.नि.–318(1)/14
दिनाँक: 25 नवम्बर, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का सोशल आडिट किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1496/अड़तीस–7–2014–200नरेगा/2009 दिनांक 21–7–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में विकास खण्ड स्तर पर सोशल आडिट टीम के गठन, टीम के सदस्यों की शैक्षिक अर्हता, चयन समिति, चयन प्रक्रिया, टीम के सदस्यों के कर्तव्य एवं दायित्व तथा अनुमन्य मानदेय का उल्लेख किया गया है। उक्त शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट में सम्भावित कठिनाईयों के निवारणार्थ अथवा सोशल आडिट की गुणवत्ता में सुधार हेतु टीमों के गठन, कार्य प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया तथा कर्तव्य एवं दायित्व इत्यादि के सम्बन्ध में यथोचित पुरीक्षिण/निर्देश निदेशक, सोशल आडिट द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21–7–2014 में दिए गए निर्देशों के क्रम में वर्ष 2015–16 में सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैं :–

(1) प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति 10 ग्राम पंचायतों पर एक टीम के अनुपात में आवश्यकतानुसार सोशल आडिट टीम गठित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के दो–दो सदस्यों की रिजर्व सूची भी बनायी जाएगी, ताकि गठित टीम में से यदि किसी श्रेणी का कोई सदस्य टीम से हटता है या अनुपस्थित हो जाता है, तो रिजर्व सूची में से उसी श्रेणी के सदस्य को लेकर टीम को पूरा किया जा सके। उक्तवत् गठित सोशल आडिट टीमें निदेशक, सोशल आडिट अथवा उनकी सहमति से जिलाधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रति छमाही अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कर सकेंगी।

(2) सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

(3) सोशल आडिट टीम के सदस्य नामित होने हेतु अभ्यर्थी का उसी विकास खण्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। किन्तु टीम के सदस्य जिस गांव के निवासी होंगे, टीम से उस गॉव से भिन्न गांवों का सोशल आडिट कराया जाएगा।

(4) प्रत्येक सोशल आडिट टीम में 05 सदस्य होंगे, जिसमें से (1) सामान्य वर्ग, (2) अन्य पिछड़ा वर्ग, (3) अनु0जाति/अनु0जनजाति, (4) महिला तथा (5) श्रमिक अथवा उसके पुत्र/पुत्री में से कोई एक, प्रत्येक वर्ग से एक–एक व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(5) सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु गत वर्षों में टीम के सदस्य के रूप में अच्छा कार्य करने वाले, BNV में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों तथा कार्डधारक श्रमिकों के पुत्रों/पुत्रियों, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को वरीयता दी जाएगी।

3– चयन समितिः–

(अ) जिला विकास अधिकारी	अध्यक्ष
(ब) जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(स) जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर	सदस्य सचिव

अभ्युक्तिः–

जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की अनुपस्थिति में जिला विकास अधिकारी द्वारा किसी अन्य उपयुक्त पद–धारक को सदस्य सचिव का दायित्व सौंपते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

4– <u>चयन प्रक्रिया</u> :–

वर्ष 2015–16 के लिए टीमों के गठन हेतु माह दिसम्बर, 2014 में सोशल आडिट निदेशालय द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों हेतु एक साथ विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्डों में ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा/जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित पद–धारक द्वारा तथा निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर जिलाधिकारी के अनुमोदन से सोशल आडिट टीमों का गठन किया जाएगा।

5– <u>कर्तव्य एवं दायित्व</u> :–

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :–

(1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों के अनुसार किए गए भुगतान का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।

(2) योजना के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

(3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण का शुद्धता का सत्यापन करना।

(4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

(5) कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

(6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।

(7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरेवाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों की ब्लाक तथा पंचायत स्तर पर रखे अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।

(8) सोशल आडिट करते हुए सोशल आडिट प्रश्नावली पर वस्तुस्थिति का उल्लेख करना तथा सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।

(9) सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

6— मानदेय :—

प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन की गवर्निंग बॉडी द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 500/— प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

7— उपरोक्तानुसार टीमों के गठन हेतु इस निदेशालय द्वारा केन्द्रीयित रूप से प्रदेश के विभिन्न समाचार—पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे हैं ताकि टीम के सदस्यों के चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हो सकें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया टीमों के गठन हेतु यथोचित व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि वर्ष 2015—16 में सोशल आडिट के लिए टीमों का गठन समय से जनवरी, 2015 तक पूर्ण हो सके।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :— 427 / सो0आ0नि0 318(1)/2014

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।